न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

अपील नामा0संख्या 21/17 सन् 2017

आरसीएमएस संख्या 2017/00245

बउनवानीः–

1. तईबा पुत्र सुलेमान गद्दी मुसलमान,निवासी खाटखुर्द तह0 व जिला स0मा0
2. हबीब पुत्र नजीरा गद्दी मुसलमान,निवासी खाटखुर्द तह0 व जिला स0मा0
3. सरताज पुत्र नजीरा गद्दी मुसलमान,निवासी खाटखुर्द तह0 व जिला स0मा0
4. रईस पुत्र मुमताज गद्दी मुसलमान,निवासी खाटखुर्द तह0 व जिला स0मा0
5. आसिब पुत्र मुमताज गद्दी मुसलमान,निवासी खाटखुर्द तह0 व जिला स0मा0
6. नफीस पुत्र समीर गद्दी मुसलमान,निवासी खाटखुर्द तह0 व जिला स0मा0
7. फारूक पुत्र महमूद गद्दी मुसलमान,निवासी खाटखुर्द तह0 व जिला स0मा0
8. रहमुद्वीन पुत्र बादुल्ला गद्दी मुसलमान,निवासी खाटखुर्द तह0 व जिला स0मा0
9. नूरद्वीन पुत्र सोबत अली गद्दी मुसलमान,निवासी खाटखुर्द तह0 व जिला स0मा0
10. मुजेपर पुत्र इब्राहीम गद्दी मुसलमान,निवासी खाट खुर्द तह0 व जिला स0मा0
11. फुरकान पुत्र इब्राहीम गद्दी मुसलमान,निवासी खाट खुर्द तह0 व जिला स0मा0

बनाम

1. मुंशा पुत्र छंगा जाति गद्दी मुसलमान,निवासी खाट खुर्द तह0 व जिला स0मा0
2. सहायक भूप्रबंधक अधिकारी सवाईमाधोपुर
3. सरकार जरिये लेण्ड होल्डर तहसीलदार सवाईमाधोपुर

(अपील विरूद्ध आदेश सहायक भू–प्रबंध अधिकारी सवाईमाधोपुर द्वारा दर्ज फैसल नामा0 संख्या 29 निर्णय दिनांक 4.8.1992 वाके ग्राम खाटखुर्द तहसील सवाईमाधोपुर अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

उपस्थितः– 1. श्री कमलेश कुमार जैन — वकील अपीलान्ट

2. श्री शिवचरण सोनी — पैरोकार राजस्व

–: निर्णय :– दिनांक 31.07.2019

अपील अपीलान्ट ने सहायक भू–प्रबंध अधिकारी सवाईमाधोपुर द्वारा दर्ज फैसल,नामा0 संख्या 29 निर्णय दिनांक 4.8.1992 वाके ग्राम खाटखुर्द तहसील सवाईमाधोपुर के विरूद्ध इस कथन के साथ प्रस्तुत की गयी है कि अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरूद्ध है जिसको खारिज फरमाया जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा मे दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो. की तलबी जरिये नोटिस की गयी एवं अदालत मातहत से सम्बन्धित मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया गया।

तत्पश्चात बहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी।

वकील अपीलान्ट ने दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरूद्व होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है क्योकि सहायक भूप्रबंधक अधिकारी सवाईमाधोपुर द्वारा दिनांक 4.8.1992 को पारित आदेश विधि के विपरीत है तथा अपीलान्ट को बिना सुनवायी का अवसर दिये ही पारित किया गया है। यह तर्क भी दिया कि भूप्रबंध अधिकारी को अपीलान्ट की खातेदारी समाप्त कर रेस्पो. संख्या 1 को खातेदारी अधिकार देने का कोई कानूनी अधिकार नही है। भूप्रबंध अधिकारी को अपीलान्ट के गत ख0न0 285 रकबा 14 बिस्वा हाल ख0न0 442 रकबा 0.18 है0 ग्राम खाटखुर्द का नामा0 रेस्पो0 संख्या 1 के नाम तस्दीक करने का कोई कानूनी हक नही होने व मौके पर अपीलान्ट का कब्जा काश्त होने एवं रेस्पो0 संख्या 1 का कब्जा काश्त नही होने के कारण भी उक्त नामा0 निरस्त किये जाने योग्य है। यह तर्क भी दिया कि हल्का पटवारी दिनांक

डॉ0 एस0 पी0 सिंह
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

7.1.2006 को विवादित आराजीयात की गिरदावरी करने आने पर अपीलान्ट ने गिरदावरी अपने नाम करने के लिए कहॉ तो पटवारी हल्का ने बताया कि यह भूमि मुन्शया के नाम है इसलिए गिरदावरी भी मुन्शया के नाम ही करूंगा। इस प्रकार पटवारी हल्का के बताये अनुसार जानकारी होने पर आदेश जैर अपील के विरूद्व उपजिला कलेक्टर न्यायालय सवाईमाधोपुर के यहॉ अपील पेश की गयी जो दिनांक 14.11.2017 को क्षेत्राधिकार के बिन्दु पर खारिज करते हुए सक्षम न्यायालय मे अपील पेश करने हेतु स्वंत्रता दी जाने पर अपील अन्दर मयाद मय दफा 5 के प्रार्थना पत्र के पेश कर अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत निवेदन किया गया।

विद्वान वकील रेस्पो0 द्वारा दौराने बहस कथन किया कि भू–प्रबंध अधिकारी सवाईमाधोपुर द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधिसम्मत है जिसमे किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही है। यह तर्क भी दिया कि आदेश जैर अपील पत्रावली संख्या 16/92 मे पारित निर्णय दिनांक 4.8.1992 के आधार पर तस्दीक किया गया है। इसलिए आदेश जैर अपील को निरस्त करवाने से पूर्व सहायक भूप्रबंध अधिकारी सवाईमाधोपुर के निर्णय दिनांक 4.8.1992 को निरस्त करवाना चाहिए। यह तर्क भी दिया कि नामा0 संख्या 29 निर्णय दिनांक 4.8.1992 वाके ग्राम खाटखुर्द का मूल आधार निर्णय दिनांक 4.8.1992 है ओर जब तक आदेश दिनांक 4.8.1992 प्रभावी है तब तक उक्त नामा0 को निरस्त नही किया जा सकता है। यह तर्क भी दिया कि दौराने सेटलमेंट प्रक्रिया के सहायक भूप्रबंध अधिकारी को नामा0 तस्दीक करने का अधिकार होता है उसी आधार पर आदेश जैर अपील पारित किया गया है जिसको यथावत रखते हुए आदेश जैर अपील खारिज किये जाने बाबत वकील रेस्पो0 द्वारा निवेदन किया गया।

विद्वान वकील उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्को को सुनने के पश्चात एवं सम्बन्धित पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुॅचता हूॅ, कि वकील अपीलान्ट द्वारा कथन किया है कि भूप्रबंध अधिकारी को किसी के खातेदारी अधिकार परिवर्तन करने का अधिकार नही है किन्तु कथन के समर्थन में कोई दस्तावेज या कानूनी दृष्टान्त प्रस्तुत नही किया गया है। इसके विपरीत वकील रेस्पो. का यह कथन उचित प्रतीत होता है कि नामा0 संख्या 29 निर्णय दिनांक 4.8.1992 का मुख्य आधार पत्रावली संख्या 16/92 मे पारित निर्णय दिनांक 4.8.1992 है तथा जब तक उक्त आदेश सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त नही किया जाता है तब तक आदेश जैर अपील नामा0 संख्या 29 को निरस्त नही किया जा सकता है। इस प्रकार विवादित नामा संख्या 29 दिनांक 4.8.1992 वाके ग्राम खाटखुर्द में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर आदेश जैर अपील यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

निर्णय आज दिनांक 31.7.2019 को लिखवाया जाकर सुनाया गया ।

(डॉ0एस0पी0सिंह)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Satya Pal Singh
Date: 2019.12.03 16:52:38 IST
Reason: SelfAttested
Location: